भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1855** जिसका उत्तर

मंगलवार, **14** दिसंबर, 2021 (23 **अग्रहायण**, 1943 (शक)) को दिया जाना है

भारतीय नौवहन निगम द्वारा सृजित राजस्व और रोजगार

1855 श्री नीरज डांगी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) द्वारा सृजित किए गए राजस्व और रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने एससीआई में अपनी 63.75 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा एससीआई को विनिवेश से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) द्वारा सृजित किए गए राजस्व और रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है;

करोड़ रु. में

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल राजस्व	3,592.60	3,617.50	4,105.20	4,668.39	3828.81
पीएटी	142.3	253.8	(122.0)	302.4	618.10

कार्मिकों की संख्या

वित्तीय वर्ष	बेड़ा		तट		कुल
	नियमित	प्रत्यक्ष संविदा पर एवं मैनिंग एजेंट	नियमित (31 मार्च)	संविदा पर एवं प्रतिधारित (31 मार्च का आंकड़ा)	
2020-21	1292	1315	602	28	3237
2019-20	1371	1320	647	29	3367
2018-19	1499	1435	684	33	3651
2017-18	1569	1412	729	34	3744
2016-17	1573	1396	775	28	3772

(ख) से (घ): जी, हां सीसीईए ने दिनांक 20.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय नौवहन निगम लि. (एससीआईएल) में भारत सरकार की 63.75% की हिस्सेदारी को प्रबंधन के अंतरण सहित एक युक्तिपूर्ण क्रेता को युक्तिपूर्ण विनिवेश करने के लिए अपना 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (''एससीआईएल'') में भारत सरकार (''जीओआई'') की 63.75% की इक्विटी हिस्सेदारी की समूची 100% हिस्सेदारी के युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए प्राथमिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दिनांक 22.12.2020 को जारी की गई थी। ईओआई को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय तक कई ईओआई प्राप्त हुए थे। पारदर्शी गोपनीय प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त लेन-देन सलाहकार के द्वारा पात्र बोलीकर्ताओं को शार्टलिस्ट किया गया था। पात्र इच्छुक बोलीकर्ताओं (क्यूआईबी) को वर्चुअल डाटा रूम (वीडीआर) की पहुंच प्रदान की गई है और सम्यक तत्परता प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी), एसपीए मसौदे के साथ गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) को मसौदा हिस्सेदारी खरीद समझौते (एसपीए) पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए क्यूआईबी के साथ साझा किए गए थे।

*****